

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 43/15

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 05/10/2015

1. मुन्नालाल पुत्र सोनपाल कडेरे आयु 48 साल
2. श्रीमती रेखा पत्नी मुन्नालाल कडेरे आयु 47 साल  
निवासीगण ग्राम इटायदा तहसील गोहद जिला  
भिण्ड म0प्र0

.....आवेदकगण

बनाम

1. वासुदेव भदौरिया पुत्र विजय सिंह भदौरिया आयु  
निवासी ग्राम पिडौरा थाना बरौही जिला भिण्ड  
वाहन चालक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-06 ए.ए.-9144
2. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र राधाकिशन निवासी जयनगर  
चौखूटी थाना नूराबाद जिला मुरैना म0प्र0  
वाहन चालक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-06 ए.ए.-9144
3. मेग्मा एच.डी.आई. जनरल इन्श्योरेंस कंपनी  
लिमिटेड द्वारा मैनेजर सपना संगीता रोड  
भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर प्लॉट नं० 43  
तीसरी मंजिल इन्दौर म0प्र0 .....बीमा कंपनी
4. श्रीमती सर्वेश पत्नी स्व० पवन कडेरे पुत्री  
स्व० सागर निवासी ग्राम इटायदा तहसील  
गोहद हाल माता का पुरा वार्ड नं०-17 गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

(काउण्टर क्लेम याचिका की आवेदिका)

.....अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता  
अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा श्री दाताराम बंसल अधिवक्ता।  
अनावेदक क्रमांक-2 अनु० पूर्व से एकपक्षीय।  
अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री सुरेश सिंह गुर्जर अधिवक्ता।  
अनावेदक क्रमांक-04 द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।

//अधि-नि र्ण य//

(आज दिनांक 20.07.2017 को पारित)

1. यह क्लेम याचिका धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम  
1988 के तहत दिनांक 12/10/2014 को ग्राम झांकरी सुंदरनाथ मंदिर  
वाली खदान अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में  
आवेदकगण के पुत्र पवन कडेरे को आई, गंभीर चोटों से हुई मृत्यु के संबंध

में अनावेदकगण से संयुक्त रूप से एवं प्रथक प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि 33,80,000/-रूपये 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाई जाने की प्रार्थना की गयी है। इसी क्लेम याचिका में मृतक पवन कड़ेरे की पत्नी सर्वेश के द्वारा काउन्टर क्लेम याचिका प्रस्तुत करते हुए 33,80,000/-रूपये की राशि ब्याज सहित दिलाई जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. क्लेम याचिका एवं काउन्टर क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दि०-12/10/014 को आवेदकगण मुन्नालाल एवं श्रीमती रेखा का पुत्र एवं काउन्टर क्लेम की आवेदिका श्रीमती सर्वेश का पति पवन कड़ेरे सुंदरनाथ की खदान पर कार्य कर रहा था, तभी ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.-06/ए.ए.9144 का चालक अनावेदक क्र०-1 वासुदेव भदौरिया ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और ट्रैक्टर पलट दिया, जिससे ट्रैक्टर के नीचे दबकर पवन कड़ेरे की मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट थाना मौ पर की गयी। जिसपर से पुलिस द्वारा अनावेदक क्र०-1 के विरुद्ध अपराध क्र०-384/2014 अंतर्गत धारा-304(ए) भा.दं.वि० का पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दुर्घटना दि० को अनावेदक क्र०-1 उक्त ट्रैक्टर का चालक होकर उक्त ट्रैक्टर को चला रहा था तथा अनावेदक क्र०-2 उक्त ट्रैक्टर का पंजीकृत स्वामी था एवं अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी में उक्त प्रश्नगत ट्रैक्टर समस्त दायित्वों के लिए बीमित था।

3. आवेदकगण मुन्नालाल एवं श्रीमती रेखा ने अपने आवेदनपत्र में व्यक्त किया है कि दुर्घटना के समय पवन कड़ेरे की प्रतिदिन की आय 500/-रूपये अर्थात् प्रतिमाह की आय 15,000/-रूपये थी, वह मजदूरी का कार्य करता था। मुन्नालाल एवं रेखा ने व्यक्त किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती सर्वेश उसके जीवनकाल में ही उससे अलग रहने लगी थी। आवेदकगण पवन कड़ेरे के पिता एवं माता होने से वैध वारिस होकर उसकी आय पर आश्रित थे।

4. परंतु श्रीमती सर्वेश ने अपने काउन्टर क्लेम में पवन कड़ेरे को हलवाई का कार्य करके 1,000/-रूपये प्रतिदिन की आय अर्जित करना बताया है

अर्थात् पवन कडेरे 30,000/-रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। पवन कडेरे की मृत्यु से वह पति सुख से वंचित हो गई है। मुन्नालाल एवं श्रीमती रेखा ने उससे छिपाकर क्लेम प्रस्तुत किया है तथा उससे जेवर छुड़ाकर घर से निकाल दिया है। इसलिये वही एक मात्र वारिस होकर क्लेम प्राप्त करने की अधिकारी है।

5. अनावेदक क्र०-1 वासुदेव भदौरिया की ओर से मुन्नालाल एवं रेखा की क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए क्लेम याचिका के तथ्य एवं अभिवचनों से इंकार किया है और यह अभिवचन किया है कि उसके द्वारा उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं की गयी है, उसका नाम चालक के रूप में गलत लिखाया गया है। रिपोर्ट झूठी लिखायी गयी है, उसके द्वारा उक्त ट्रैक्टर को चलाकर कोई दुर्घटना कारित नहीं की गयी है। रिपोर्ट झूठी लिखायी गयी है, क्लेम आवेदनपत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।
6. अनावेदक क्र०-2 की ओर से भी क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया है तथा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि मृतक की आयु 22 वर्ष थी, वह मजूदरी करता था, उसकी आय 500/-रुपये प्रतिदिन थी, मृतक दुर्घटना के समय खदान पर कार्य कर रहा था, ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर व मंदा चोटें आयीं तथा दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर का क्रमांक-एम.पी.-06/ए.ए.-9144 था। यह अभिवचन किया गया है कि दुर्घटना मृतक की लापरवाही के कारण घटित हुई है। इसमें वाहन का कोई दोष नहीं है। क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।
7. काउन्टर क्लेम की आवेदिका श्रीमती सर्वेश के द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए अपने काउन्टर क्लेम के अनुसार ही अभिवचन किए गये हैं और क्षतिपूर्ति की राशि मुन्नालाल व रेखा को न देकर उसे दिलाई जाने की प्रार्थना की गयी है।
8. अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम याचिका का एवं काउन्टर क्लेम का प्रथक प्रथक रूप से लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए

आवेदकगण मुन्नालाल एवं रेखा की क्लेम याचिका के अभिवचनों का सामान्य एवं विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर किया है तथा यह अभिवचन किया है कि यदि दुर्घटना दिनांक को उक्त प्रश्नगत ट्रैक्टर से दुर्घटना होना, ट्रैक्टर बीमित होना, पवन कडेरे की मृत्यु होना पाया जाता है तो यह आपत्ति की गयी है कि मृतक पवन कडेरे उक्त प्रश्नगत ट्रैक्टर पर अनाधिकृत रूप से बैठकर यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। इस प्रकार बीमा संविदा की शर्त का उल्लंघन किया गया है। उक्त अनाधिकृत रूप से बैठने के लिए बीमा कंपनी ने कोई प्रीमियम नहीं लिया है। दुर्घटना के समय अनावेदक क्र०-1 के पास ट्रैक्टर चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था। उक्त आधारों पर क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

9. क्लेम याचिका के आवेदकगण तथा काउन्टर क्लेम के अनावेदक क्र०-4 व 5 मुन्नालाल और रेखा की ओर से श्रीमती सर्वेश के काउन्टर क्लेम का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किया गया है कि श्रीमती सर्वेश पवन कडेरे के जीवनकाल में ही घर से चली गयी थी, जिससे कि स्पष्ट है कि वह पवन कडेरे की पत्नी नहीं है, उसकी काउन्टर क्लेम याचिका उनके विरुद्ध संचालित योग्य नहीं है, क्योंकि वह काउन्टर क्लेम याचिका प्रस्तुत करने के लिए सक्षम नहीं है। काउन्टर क्लेम निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

10. मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या दिनांक 12.10.14 को रात करीब 04:00 बजे ग्राम झांकरी में सुन्दरनाथ वाली खदान पर अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के ट्रैक्टर एम.पी.-06-ए.ए.-9144 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की ?	प्रमाणित
2. क्या, उक्त कथित दुर्घटना में ट्रैक्टर पर बैठे मृतक पवन कडेरे की ट्रैक्टर पलटने से उसके	प्रमाणित

नीचे दब जाने के कारण मृत्यु कारित हुई ?	
3. क्या मृतक पवन कड़ेरे के विधिक वारिसानों में कौन कौन आते है ?	आवेदक मुन्नालाल पिता, आवेदिका श्रीमती रेखा मां एवं अनावेदिका क्र०-04/काउण्टर क्लेम याचिका की आवेदिका श्रीमती सर्वेश पवन कड़ेरे के विधिक वारिसान हैं।
4. क्या, मृतक पवन कड़ेरे की दुर्घटना में हुई, मृत्यु के कारण कौन-कौन आवेदक किस किस से कितनी-कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का पात्र है ?	आवेदक मुन्नालाल पिता, आवेदिका श्रीमती रेखा मां एवं अनावेदिका क्र०-04/काउण्टर क्लेम याचिका की आवेदिका श्रीमती सर्वेश क्षतिपूर्ति की राशि 8,75,000/-रुपए प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
5. क्या दुर्घटनाकारी ट्रेक्टर की बीमा पॉलिसी की शर्तों का अनावेदक क्रमांक 01 व 02 द्वारा उल्लंघन किया गया है, यदि हां तो प्रभाव ?	प्रमाणित। बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी से उन्मुक्त किया गया। क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी अनावेदक क्रमांक 01 व 02 करेंगे।
6. अन्य अनुतोष ?	क्लेम याचिका एवं काउण्टर क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

### —:सकारण निष्कर्ष:—

#### वाद प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02 :-

11. दोनों वादप्रश्नों के तथ्य एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदक मुन्नालाल आ०सा०-01 ने यह बताया है कि दिनांक 12.10.14 को उसका पुत्र पवन सुंदरनाथ की खदान पर कार्य कर रहा था, तभी ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-06/ए.ए.-9144 का चालक अनावेदक क्रमांक 01 ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और ट्रेक्टर को पलट दिया, जिससे उसके पुत्र पवन कड़ेरे की ट्रेक्टर के नीचे दबने से मृत्यु हो गई है। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट थाना मौ पर की गई। जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और अनुसंधान कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर नहीं था और ट्रेक्टर कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा। बाद में उसे पता चला था कि ट्रेक्टर वासुदेव चला रहा था।



12. नवलसिंह आ०सा०-02 ने यह बताया है कि ट्रैक्टर को अनावेदक वासुदेव तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया, जिस खदान में मृतक पवन काम रहा था, उस स्थान पर आकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से पवन उसके नीचे दब गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसने पैरा-03 में स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी होना बताते हुए, स्वयं घटना देखना बताया है और व्यक्त किया है कि वह भी उसी खदान पर काम करता था और घटना उसके सामने घटित हुई है। प्रतिपरीक्षण के पैरा-04 में घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर एम.पी.-06/ए.ए.-9144 होना बताया है और यह बताया है कि वह अपने भतीजे पवन के साथ शिवनाथ पहाड़ी वाली खदान पर काम कर रहा था। श्रीमती सर्वेश अना०सा०-01 ने भी उपरोक्त दोनों साक्षियों की पुष्टि करते हुए ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.-06/ए.ए.-9144 के चालक द्वारा ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलकर पलट देना तथा ट्रैक्टर के नीचे पवन कडेरे की दबकर मृत्यु हो जाना बताया है।

13. अनूप पाण्डे अना०सा०-02 ने यह बताया है कि दुर्घटना की सूचना प्रथम बार चौकीदार सूरतराम पुत्र छोटेलाल द्वारा पुलिस को दी गई, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि मृतक ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, नक्शा पंचायतनामा एवं अपराध विवरण फॉर्म में मृत्यु का कारण “ट्रैक्टर पलट जाने से दब कर” लिखा है। उसने यह बताया है कि दुर्घटना किसी अन्य ट्रैक्टर से हुई है। जो बीमित नहीं था और क्लेम प्राप्त करने हेतु वाहन क्रमांक एम.पी.-06/ए.ए.-9144 को असत्य आधारों पर संलिप्त करा दिया है। उसने यह भी बताया है कि बीमा कंपनी के अन्वेषक श्री अनिल कुमार राठौर द्वारा कथित दुर्घटना की जांच के दौरान प्रकाश कुशवाह पुत्र केशवसिंह कुशवाह निवासी झांकरी थाना मौ जिला भिण्ड के लिखित कथन लिए गए, जिसमें उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने दुर्घटना होतु हुए देखी है एवं दुर्घटना के समय मृतक पवन ट्रैक्टर पर बैठा था और ट्रैक्टर पलटने के कारण मृतक उस ट्रैक्टर के नीचे दब गया था। मृतक पवन ट्रैक्टर पर अनाधिकृत यात्री के रूप में बैठा था क्योंकि उक्त ट्रैक्टर की बैठक क्षमता केवल एक व्यक्ति अर्थात चालक की है जो केवल चालक के लिए ही है।

14. अनावेदकगण की ओर से उक्त संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र०पी०-०१ लगायत प्र०पी०-०८ तथा प्र०पी०-१० लगायत प्र०पी०-१२ एवं दैनिक समाचारपत्र 14.10.14 के संस्करण की प्रति प्रस्तुत की गई है। श्रीमती सर्वेश की ओर से उक्त संबंधित आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र०डी०-०१ लगायत प्र०डी०-१३ प्रस्तुत की है। देहाती नालिशी मार्ग क्रमांक ०/१४ अंतर्गत धारा-१७४ दं०प्र०सं०, प्र०डी०-०५ का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक 12.10.14 की शाम ०४:०० बजे के लगभग की है। जिसकी देहाती नालिशी उसी दिनांक की शाम ०७:०० बजे लिखाई गई है। जिसकी सूचना चौकीदार सूरतराम के द्वारा पुलिस को दी गई है। जिसमें यह तथ्य है कि उक्त दिनांक को शाम ०४:०० बजे चौकीदार सूरतराम स्कूल में था कि तभी सुंदरनाथ मंदिर वाली खदान की तरफ लोगों को भागते देखकर वह भी वहां पहुंचा और देखा कि खदान के गड्ढे में ट्रैक्टर उल्टा पड़ा हुआ था व एक व्यक्ति उसके नीचे दबा था। लोगों ने मिलकर ट्रैक्टर को सीधा किया व नीचे दबे घायल व्यक्ति को निकाला। मौके पर मौजूद व्यक्तियों ने उसे पवन पुत्र मुन्नालाल कड़ेरे निवासी इटायदा होना बताया। फिर इटायदा के लोग एक मार्शल जीप से इलाज के लिए गोहद तरफ ले गए। रास्ते में पवन की मृत्यु हो जाने से उसकी लाश वापस ग्राम इटायदा ले गए।
15. आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त देहाती नालिशी के आधार पर थाना मौ में मार्ग की असल कायमी उसी दिनांक 12.10.14 को रात्रि ०९:१५ बजे मार्ग क्रमांक ३७/१४ प्र०डी०-०४ की रूप में की गई प्रकरण को जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतक पवन कड़ेरे के परिवार जनों के दिनांक 17.11.14 को कथन लिए गए। जिसमें मुन्नालाल एवं रेखा से ट्रैक्टर क्रमांक एम०पी०-०६/ए.ए.-९१४४ के चालक वासुदेव के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट देना बताया है। जिससे ट्रैक्टर के दबने से पवन कड़ेरे की मृत्यु होना बताया है। जांच रिपोर्ट प्र०डी०-०३ के अनुसार वासुदेव भदौरिया के विरुद्ध धारा-३०४ए भा०दं०वि० का अपराध घटित होना पाया गया। जिसके आधार पर प्र०डी०-०२ की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते हुए अपराध की कायमी की गई।

16. आवेदकगण तथा श्रीमती सर्वेश की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य का खण्डन एवं दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से नहीं किया गया है। अनावेदक क्रमांक 01 ने अधिकरण में उपस्थित होकर ऐसा नहीं बताया है कि मौके पर उसने ट्रैक्टर को नहीं चलाया या दुर्घटना नहीं हुई। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य अखण्डनीय है। यद्यपि बीमा कंपनी की ओर से अनूप पाण्डे अना0सा0-02 ने किसी अन्य ट्रैक्टर से दुर्घटना होना बताया है। परंतु वह घटना पर उपस्थित व्यक्ति नहीं है, जैसा कि अनावेदक क्रमांक 01 है और उक्त प्रमुख व्यक्ति ने अनावेदकगण की साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया है।
17. पुलिस की ओर से अनावेदक क्रमांक 01 वासुदेव के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में अपराध पाते हुए उसके आधिपत्य से प्रश्नगत ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. -06/ए.ए.-9144, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं ड्रायविंग लाइसेंस की छायाप्रतियां जप्त की गई हैं और उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे भी यह प्रकट होता है कि वासुदेव के द्वारा उक्त प्रश्नगत ट्रैक्टर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की गई थी। उक्त प्रस्तुत की गई साक्ष्य नक्शा पंचायतनामा प्र0डी0-07, सफीनाफार्म प्र0डी0-06 एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र0डी0-08 से भी यही स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना से ही पवन कड़ेरे की मृत्यु कारित हुई अर्थात् अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा उक्त प्रश्नगत ट्रैक्टर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की गई। अब देखना यह है कि पवन कड़ेरे उसी ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था या ट्रैक्टर से अलग था और ट्रैक्टर चालक के द्वारा ट्रैक्टर चालक के द्वारा ट्रैक्टर में बैठे हुए पवन कड़ेरे को गिरा कर उसे ट्रैक्टर के नीचे दबाया या ट्रैक्टर से अलग रहे पवन कड़ेरे पर ट्रैक्टर पलट कर उसे दबा दिया।
18. इस संबंध में अनूप पाण्डे अना0सा0-02 ने पैरा-04 में यह बताया है कि कथित दुर्घटना की जांच या विवेचना के समय पुलिस थाना मौ की चौकी झांकरी द्वारा छः व्यक्तियों के कथन लिए गए, जिसमें एक आवेदक मुन्नालाल ने यह बताया है कि पवन कड़ेरे ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था। मार्ग क्रमांक 37/14 दिनांक 19.11.14 एवं पुलिस के अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 23.11.14 में



भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि दुर्घटना के समय पवन पैदल जा रहा था जिससे कि स्पष्ट है कि मृतक पवन पैदल जाते समय ट्रेक्टर के नीचे दब कर मरा है, जांच के दौरान प्रकाश कुशवाह के कथन में भी पवन के ट्रेक्टर पर बैठे होने के तथ्य है। जिस ट्रेक्टर से दुर्घटना हुई है, उस ट्रेक्टर को मौके से जप्त नहीं किया गया है।

19. इस प्रकार की साक्ष्य बीमा कंपनी की ओर से दी अवश्य गई है। परंतु उक्त संबंधित मुन्नालाल एवं प्रकाश कुशवाह के जांच या विवेचना में लिए गए कथन की प्रमाणित प्रतिलिपियां इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे कि यह प्रकट है कि बीमा कंपनी की ओर से जानबूझकर आवेदकगण को बीमा दिलाए जाने के लिए उक्त कथन की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत नहीं की गई है। अनावेदक बीमा कंपनी को यह पर्याप्त अवसर था कि वह जांच या विवेचना में हुए कथनों की प्रमाणित प्रतिलिपियां इस प्रकरण में पेश करती या संबंधित उक्त आपराधिक प्रकरण को तलब कराती। परंतु ऐसा नहीं करने से स्पष्ट है कि बीमा कंपनी की ओर से केवल औपचारिकता की गई है।

20. मुन्नालाल आ०सा०-01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि ट्रेक्टर अलग था और पवन कड़ेरे अलग था तथा ट्रेक्टर चालक ने ट्रेक्टर को चलाते हुए पवन को टक्कर मारते हुए उसे नीचे दबा दिया। मुख्य परीक्षण में यह तथ्य नहीं भी है कि पवन ट्रेक्टर पर बैठा हुआ था। यद्यपि उसने बीमा कंपनी की ओर से दिए जाने वाले इस सुझाव से इन्कार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पर मृतक पवन बैठा हुआ था। इस प्रकार यह प्रश्न पूछकर बीमा कंपनी द्वारा आवेदकगण की सहायता करने का ही प्रयास किया गया है।

21. नवल सिंह आ०सा०-02 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-04 में यह बताया है कि वह अपने भतीजे पवन के साथ शिवनाथ पहाड़ी वाली खदान पर कार्य कर रहा था। परंतु इस साक्षी का नाम पुलिस के अभियोगपत्र में साक्ष्य सूची में है ही नहीं। पुलिस दस्तावेजों में यह तथ्य नहीं है कि पवन खदान में कार्य कर रहा था और ट्रेक्टर उस पर आकर पलट गया। प्र०पी०-02 की प्रथम

सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें तथ्य है कि पत्नी सर्वेश, मां रेखा, पिता मुन्नालाल के कथन प्रथक-प्रथक लिए गए। कथनों में बताया है कि घटना दिनांक को ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-06/ए.ए.-9144 के चालक वासुदेव भदौरिया द्वारा उक्त ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलकार ट्रेक्टर को पलट दिया और ट्रेक्टर पर बैठे पवन की ट्रेक्टर में दबने से मौके पर ही मौत हो गई।

22. यही कारण है कि श्रीमती सर्वेश अना०सा०-01 ने मुख्यपरीक्षण में ही पैरा-02 में यह बताया है कि दिनांक 12.10.14 को उसका पति पवन कड़ेरे सुंदरनाथ की खदान पर कार्य करने के लिए ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-06/ए.ए.-9144 पर बैठकर गया था तो चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रेक्टर चलाकर पलट दिया। उसके पति पवन कड़ेरे की ट्रेक्टर के नीचे दब जाने के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार सर्वेश अना०सा०-01 की इस साक्ष्य की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 से भी भली भांति हो रही है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि उस समय पवन कड़ेरे उक्त प्रश्नगत ट्रेक्टर पर बैठ कर जा रहा था और ट्रेक्टर के पलटने से वह ट्रेक्टर के नीचे दब गया और उसकी मृत्यु कारित हो गई।

#### वादप्रश्न क्रमांक 03 एवं 04:-

23. सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण में यह स्वीकृत है कि मुन्नालाल एवं श्रीमती रेखा मृतक पवन कड़ेरे के माता पिता हैं। वहीं क्लेम याचिका की अनावेदिका क्रमांक 04 अर्थात् काउण्टर क्लेम याचिका की आवेदिका श्रीमती सर्वेश ने स्वयं को पवन कड़ेरे की पत्नी होना बताया है। मुन्नालाल एवं श्रीमती रेखा के द्वारा यह बताया गया है कि दुर्घटना के पूर्व ही श्रीमती सर्वेश मृतक पवन कड़ेरे को छोड़कर रामवीर पुत्र बाहदुर कड़ेरे निवासी ग्राम गडरोली तहसील गोहद जिला भिण्ड के साथ चली गई और वहीं पर उसके साथ उसने पुनर्विवाह पवन के जीवनकाल में ही कर लिया था। मुन्नालाल आ०सा०-01 ने पैरा-06 एवं नवलसिंह आ०सा०-02 ने पैरा-01 में ही यह तथ्य बताया है। परंतु मुन्नालाल आ०सा०-01 से अनावेदिका क्रमांक 04 श्रीमती सर्वेश की ओर से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि श्रीमती सर्वेश

पवन की पत्नी है। नवल सिंह आ०सा०-02 ने तो प्रतिपरीक्षण के पैरा-06 में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि श्रीमती सर्वेश पवन की विवाहिता पत्नी है और वह पवन की वारिस है।

24. आवेदकगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि जिससे यह प्रकट होता हो कि पवन एवं श्रीमती सर्वेश के मध्य विधिवत विवाह विच्छेद या तलाक हुआ हो। ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि पवन ने किसी अन्य से पुनर्विवाह कर लिया। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है कि श्रीमती सर्वेश ने किसी अन्य से पुनर्विवाह किया है और वह पवन की पत्नी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित है कि श्रीमती सर्वेश पवन कडेरे की विवाहिता पत्नी है और इस नाते वह उसकी वारिस भी है।

25. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित हुआ है कि अनावेदक क्रमांक 01 वासुदेव भदौरिया ने उपरोक्त प्रश्नगत ट्रेक्टर उपेक्षापूर्वक और उतावलेपन से चलाकर ट्रेक्टर को पलट कर उक्त दुर्घटना कारित की जिससे पवन कडेरे की मृत्यु कारित हुई। अतः ऐसी स्थिति में आवेदकगण मुन्नालाल, श्रीमती रेखा एवं श्रीमती सर्वेश पवन कडेरे के वैध प्रतिनिधि होने के नाते क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

26. मुन्नालाल आ०सा०-01 ने यह बताया है कि उसका पुत्र पवन कडेरे मजदूरी करके प्रतिदिन 500/-रुपए की आय अर्जित करता था। परंतु प्रतिपरीक्षण में पैरा-09 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसका लड़के की आमदनी कितनी है। नवलसिंह आ०सा०-02 ने भी यह प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि उन्हें मिलने वाले पैसों की उनके पास कोई लिखापढ़ी नहीं है। इस प्रकार पवन कडेरे की 500/-रुपए प्रतिदिन की आए होने के संबंध में कोई लेखीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और हिसाब किताब भी प्रस्तुत नहीं किया है।

27. वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिक के हिसाब से लगाए तथा यह भी मान्य करे कि कम से कम 20-25 दिवस कार्य करता है। तब भी कम से कम 5,000/-रु. आय प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर तथा मंहगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृतक की मासिक आय 5,000/-रु. मान्य की जाती है। उक्त हिसाब से पवन कडेरे की वार्षिक आय 60,000/-रुपये होती है।
28. जहां तक कि पवन कडेरे की दुर्घटना के समय आयु का संबंध है, उभयपक्ष की ओर से मौखिक रूप से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। परंतु प्र०पी०-05 के आवेदन का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें पवन कडेरे की आयु 22 वर्ष दर्शित है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आयु 24 वर्ष लिखी हुई है। इस प्रकार पवन कडेरे की आयु का समूह 18 से 25 वर्ष का आयु समूह है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर पवन कडेरे की आयु का समूह 18 से 25 वर्ष का मान्य किया जाता है। न्याय दृ० सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य एआईआर 2009 एससी 3104 के परिप्रेक्ष्य में 18 से 25 वर्ष के आयु समूह के लिए 18 का गुणक प्रयुक्त किया जाएगा।
29. पवन कडेरे की आय पर आश्रित सदस्यों की संख्या तीन है न्याय दृ० सरला वर्मा के परिप्रेक्ष्य में दो से तीन आश्रित सदस्यों के लिए 1/3 आय का कटोत्रा किया जाएगा। 5,000/-रुपए प्रतिमाह के हिसाब से वार्षिक आय 60,000/-रुपए होती है, जिसमें से 1/3 आय का कटोत्रा किए जाने पर आय की वार्षिक हानि 40,000/-रुपए होती है, जिसमें 18 का गुणक लगाए जाने पर 7,20,000/-रुपए आश्रितता की हानि होती है।
30. न्यायदृष्टांत राजेश व अन्य बनाम राजवीर व अन्य 2013 एसीजे 1403 में मान्नीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की बेंच द्वारा साहचर्य सुख की हानि कम से कम एक लाख रुपये दिलाई जाना निर्धारित किया है। अतः उक्त न्यायदृष्टांत में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में साहचर्य सुख की हानि के संबंध में आवेदिका श्रीमती सर्वेश को 1,00,000/-रुपये की राशि दिलाई जाती है।



31. न्यायदृष्टांत राजेश व अन्य बनाम राजवीर व अन्य 2013 एसीजे 1403 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम संस्कार के व्यय में कम से कम 25,000 /-रु. की राशि दिलाये जाने का मार्गदर्शन दिया गया है। अतः उक्त राशि 25,000 /-रु. प्रथक से प्रतिकर स्वरूप दिलाई जाती है।
32. आवेदक मुन्नालाल एवं श्रीमती रेखा ने अपने पुत्र को खोया है, अर्थात बुढ़ापे का सहारा खोया है। अतः ऐसी स्थिति में वह स्नेह और देखरेख से वंचित हुए हैं। अतः उक्त मद में आवेदकगण को 20,000 /-रुपए की राशि दिलवाई जाती है। सम्पदा की हानि के लिए 10,000 /-रुपए की राशि दिलाई जाती है।
33. अतः आवेदकगण मुन्नालाल, श्रीमती रेखा एवं श्रीमती सर्वेश निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है:-

क्रमांक	मद	राशि
1	आश्रितता की हानि	7,20,000 /-
2	साहचर्य की हानि	1,00,000 /-
3	अंतिम संस्कार का व्यय	25,000 /-
4	सम्पदा की हानि	10,000 /-
5	स्नेह एवं देखरेख के मद में	20,000 /-
कुल क्षतिपूर्ति राशि		8,75,000 /-

**वादप्रश्न क्रमांक 05:-**

34. यह वादप्रश्न बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में है। बीमा कंपनी की ओर से विधि अधिकारी अनूप पाण्डे अना0सा0-02 की साक्ष्य कराई गई है। उन्होंने यह बताया है कि घटना कारित करने वाले ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-06/ए.ए.-9144 के रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट के अनुसार बीमित ट्रेक्टर की बैठक क्षमता केवल एक व्यक्ति की अर्थात चालक की है। परंतु चालक के अलावा भी एक ओर व्यक्ति पवन ट्रेक्टर पर बैठा था और दुर्घटना कारित होने से उसकी मृत्यु हुई है। इस कारण उक्त अन्य व्यक्ति पवन कडेरे के संबंध में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि दिलाए जाने के उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि अन्य व्यक्ति के लिए कोई प्रीमियम जमा नहीं किया गया है



और उक्त अनाधिकृत व्यक्ति के लिए कोई रिस्क कवर नहीं है।

35. रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-०६ का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त सोनालिका ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-०६/ए.ए.-९१४४ के संबंध में सिटिंग कैपेसिटी एक लिखी हुई है अर्थात् उक्त ट्रेक्टर पर केवल और केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। बीमा पॉलिसी प्र०पी०-१४ की प्रति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त ट्रेक्टर के लिए १००/-रुपए का प्रीमियम ऑनर ड्रायवर के लिए तथा ५०/-रुपए का प्रीमियम ड्रायवर/क्लीनर/एम्प्लॉई के लिए है। प्रस्तुत की गई साक्ष्य से स्पष्ट है कि पवन न तो ड्रायवर की ड्रायवर की हैसियत से, न क्लीनर की हैसियत से, न स्वामी की हैसियत से और न ही एम्प्लॉई की हैसियत से उक्त ट्रेक्टर पर बैठा था। अतः ऐसी स्थिति में उक्त बीमा पॉलिसी में इस प्रकार से बैठे हुए व्यक्ति के लिए कोई रिस्क कवर नहीं है। अपितु तृतीय पक्ष के लिए रिस्क कवर है। इस प्रकार यह प्रकट और प्रमाणित है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक ०१ व ०२ के द्वारा बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया। इसके साथ यह भी है कि बीमा पॉलिसी के अनुसार ट्रेक्टर पर अन्य व्यक्ति का कोई रिस्क कवर नहीं है और न ही प्रीमियम जमा है। अतः ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी अनावेदक क्रमांक ०१ व ०२ के द्वारा की जाएगी। बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी से उन्मुक्त किया जाता है।

36. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की विविध सिविल अपील क्रमांक ३६३/०५ उनवान सियाराम उर्फ जयसियाराम बनाम श्रीमती देवकंवर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक २५.१०.१३ में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की एकल पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक्ट पॉलिसी में यात्रा करने वाले व्यक्ति का प्रीमियम कवर नहीं था अर्थात् वाहन जीप पर बैठे व्यक्ति का कोई प्रीमियम अदा नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि के लिए उत्तरदायी नहीं मानी गई।

37. इस संबंध में न्यायदृष्टांत कमला बाई विरुद्ध कमलेश 2008

(5) एम.पी.एच.टी. 190 अवलोकनीय है। जिसमें ट्रैक्टर पर यात्रा कर रहा व्यक्ति चालक की उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने से गिरकर मर गया था, वह ट्रैक्टर में यात्री की हैसियत से यात्रा कर रहा था, ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं माना गया है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित है कि उपरोक्त प्रकार से उपरोक्त संविदा का उल्लंघन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अनावेदक क्र 03 बीमा कंपनी मेग्मा एच.डी.आई. जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं है।

**वादप्रश्न क्रमांक 06 सहायता एवं वादव्यय:-**

38. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण मुन्नालाल एवं श्रीमती रेखा अपनी क्लेम याचिका तथा श्रीमती सर्वेश अपनी काउण्टर क्लेम याचिका को आंशिक रूप से प्रमाणित करने से सफल रहे हैं। अतः आवेदकगण मुन्नालाल एवं श्रीमती रेखा की क्लेम याचिका तथा श्रीमती सर्वेश की काउण्टर क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदकगण मुन्नालाल, श्रीमती रेखा तथा श्रीमती सर्वेश के पक्ष में एवं अनावेदकगण क्रमांक 01 व 02 के विरुद्ध निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. अनावेदकगण क्रमांक 01 व 02 आवेदकगण मुन्नालाल एवं श्रीमती रेखा तथा श्रीमती सर्वेश को संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि 8,75,000/-रुपए (आठ लाख पचत्तर हजार रुपए) अधिनिर्णय दिनांक 20.07.2017 से दो माह के अंदर अदा करेंगे।
2. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 आवेदकगण मुन्नालाल, श्रीमती रेखा एवं श्रीमती सर्वेश को आवेदन प्रस्तुति दिनांक 05.10.15 से संपूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी अदा करेगा।
3. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 8,75,000/-रुपए (आठ लाख पचत्तर हजार रुपए) एवं उससे प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि में से 2,00,000/-रुपए (दो लाख रुपए) की राशि श्रीमती सर्वेश को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे। शेष राशि में से

1,00,000—1,00,000 /— (एक—एक लाख )रुपए की तीन एफ.डी.आर. क्रमशः तीन वर्ष, पांच वर्ष एवं सात वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में की जावे। उक्त राशि में से देय मासिक ब्याज श्रीमती सर्वेश को त्रैमासिक रूप से बैंक के माध्यम से प्रदान किया जावे।

4. आवेदक मुन्नालाल को 2,00,000 /—रुपए (दो लाख रुपए) की राशि प्रदान की जावे, जिसमें से 1,00,000 /—रुपए (एक लाख रुपए) की राशि उसे बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे तथा 1,00,000 /—रुपए (एक लाख रुपए) की जावे, जिसका त्रैमासिक ब्याज त्रैमासिक रूप से मुन्नालाल को बैंक के माध्यम से प्रदान किया जावे।

5. शेष राशि आवेदिका श्रीमती रेखा को प्रदान की जावे जिसमें से 2,00,000 /—रुपए (दो लाख रुपए) की एफ.डी.आर दस वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में की जावे जिसमें से त्रैमासिक ब्याज त्रैमासिक रूप से उसे बैंक के माध्यम से प्रदान किया जावे। शेष राशि उसे नकद प्रदान की जावे।

6. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 अपना स्वयं का तथा आवेदकगण मुन्नालाल, श्रीमती रेखा एवं श्रीमती सर्वेश का वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क वहन करेंगे। अनावेदक क्रमांक 03 अपना स्वयं का वाद व्यय वहन करेगा।

7. अधिवक्ता शुल्क 2,000 /—रुपए (दो हजार रुपए) लगाया जावे।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.  
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.  
गोहद, जिला भिण्ड